कार्यालय जिला दण्डाधिकारी जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

क./ 4591 /एस.डब्ल्यू./2021 राजगढ़, दिनांक 10 /04/2021

– आदेश –

गृह विभाग म.प्र.शासन भोपाल के पत्र क. 35–09/2020/दो/सी–2 दिनांक 24.03.2021 एवं गृह विभाग म.प्र.शासन भोपाल के पत्र क. 35–09/2020/दो/सी–2 दिनांक 07.04.2021 में प्रदत्त निर्देशों एवं दिनांक 10.04.2021 को आयोजित जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिए निर्णय के पालन में जिले में कोविड–19 संक्रमण की संख्या में विगत दिनों में हो रही बढोतरी को दृष्टिगत रखते हुये मैं नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला राजगढ़, दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत पारित आदेश क. 4452/एस.डब्ल्यू./2021 राजगढ दिनांक 08.04.2021 में निम्नानुसार संशोधित आदेश पारित करता हूँ:–

1. जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में सोमवार (दिनांक 12.04.2021) प्रातः 06:00 बजे तक अधिरोपित लॉकडाउन को सोमवार (दिनांक 19.04.2021) प्रातः 06:00 बजे तक विस्तारित किया जाता है।
2. लॉकडाउन अवधि में निम्नालिखित गतिविधियों को लॉकडाउन के बंधनों से मुक्त रखा जाता है–
   1. जिले में अन्य राज्यों से माल, सेवाओं का आवागमन।
   2. केमिस्ट, किराना दुकाने, न्युज पेपर हॉकर्स, अस्पताल, पेट्रोल पंप, बैंक एवं ए.टी.एम. एवं सब्जी की दुकानें।
   3. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी/कर्मचारी का आवागमन।
   4. सभी अनिवार्य बोर्ड परीक्षाएं, परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण।
   5. एम्बुलेंस एवं फायर बिग्रेड, टेली कम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गेस सेवाऐं।
   6. समस्त कोविड वैक्सीनेशन कैंप (स्थाई/अस्थाई) एवं टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक/कर्मी।
   7. बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन से आने–जाने वाले नागरिक।
   8. उपार्जन एवं मंडी के कार्य में नियोजित व्यक्ति।
   9. औद्योगिक इकाइयॉ, कंपनियॉ एवं उनमें कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों, औद्योगिक मजदूरों एवं स्वास्थ्य सेवाओं एवं सार्वजनिक उपयोग के लिये किये जा रहे निर्माण कार्यो में लगे व्यक्तिओं के आने जाने के लिए आवागमन। इसके लिये संबंधित व्यक्ति को परिचय पत्र या संबंधित दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य होगा।
   10. पंजीकृत गैस एजेंसी के माध्यम से घरेलू गैस सिलेण्डर की आपूर्ति।
   11. आकस्मिक परिस्थितियों/चिकित्सकीय इमरजेंसी में दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का संचालन (दो पहिया वाहन में एक व्यक्ति एवं चार पहिया वाहन में दो व्यक्ति की अनुमति होगी)।
   12. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें।
   13. आई.टी कम्पनियों तथा बी.पी.ओ/मोबाईल कंपनियों के सपोर्ट स्टाफ एवं यूनिट्स।

Scanned with CamSc

उपरोक्त समस्त गतिविधियों की अनुमति सख्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, सेनेटाईजेशन, मास्क उपयोग पर ही प्रदाय होगी तथा उक्त प्रावधानों के उल्लंघन पर अधिकतम शास्ति/चालानी कार्यवाही की जावेगी।

3. शेष संपूर्ण आदेश यथावत रहेगा।

यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है और वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियॉ नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाये। अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अलावा, आईपीसी की धारा 188 एवं अन्य उपर्युक्त कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत जुर्माने सहित दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी। उक्त आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी, समस्त थाना प्रभारी जिला राजगढ को अधिकृत किया जाता है। यह आदेश जारी दिनांक से आगामी आदेश तक प्रभावशील होगा।

यह आदेश आज दिनांक .04.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया।

(नीरज कुमार सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव म.प्र.शासन गृह विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. पुलिस महानिरीक्षक भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला राजगढ की ओर सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक जिला राजगढ़ की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। संबधित थाना प्रभारियों को आपके स्तर से भी कडाई से पालन करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) समस्त ....जिला राजगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी समस्त .... जिला राजगढ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. मुख्य नगर पालिका अधिकारी .... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9. सहायक संचालक, जनसंपर्क विभाग राजगढ़ की ओर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी
जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

Scanned with CamSc